

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 615/2023
अनवान : -

1. मांगीलाल पुत्र रेवन्ताराम जाति जाट साकिन खुईया तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. रेवन्ताराम पुत्र उदाराम जाति जाट साकिन खुईया तहसील नोहर।
2. कालु पुत्र रेवन्ताराम जाति जाट साकिन खुईया तहसील नोहर।
3. ममता पुत्री रेवन्ताराम पत्नी जगदीश जाति जाट साकिन खुईया तहसील नोहर हाल निवास किंकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त०

अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 4/01/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-74 के खाता संख्या 319/310 की कुल 3.6690 हैक्ट भूमि, रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-74 के खाता संख्या 390/371 की कुल 6.4890 हैक्ट भूमि मे से 1/7 हिस्सा भूमि व रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 207/214 की कुल 8.1190 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा उदाराम के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा है। इसलिए वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है जिसे अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादीया संख्या 3 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की बहिन है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग वादी एवं प्रतिवादी स० 1 ता 2 उक्त वाद भूमि पर बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वादी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)



न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी सं० 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029-38 प्रदर्श-1, प्रमाणित जमाबंदी पाण्डुसर प्रदर्श-2, मिसल बन्दोबस्त सम्वत सम्वत 2029-2038 वाके रोही मौजा मिनकदेसर प्रदर्श-3, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029-2038 रोही मौजा मिनकदेसर प्रदर्श-4, प्रमाणित जमाबंदी सम्वत 2071-74 रोही मौजा खुईया प्रदर्श-5, प्रमाणित जमाबंदी सम्वत 2071-2074 प्रदर्श-6, प्रमाणित जमाबंदी सम्वत 2076-2079 प्रदर्श-7 आदि प्रदर्शित करवाये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षसुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है जो की पूर्व में हमारे पूर्वजो के नाम थी अतः वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-74 के खाता संख्या 319/310 की कुल 3.6690 हैक्ट भूमि, रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-74 के खाता संख्या 390/371 की कुल 6.4890 हैक्ट भूमि मे से 1/7 हिस्सा भूमि व रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत

2076-2079 के खाता संख्या 207/214 की कुल 8.1190 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है प्रतिवादीया संख्या 3 ने वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत वारिसान एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-74 के खाता संख्या 319/310 की कुल 3.6690 हैक्ट भूमि, रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-74 के खाता संख्या 390/371 की कुल 6.4890 हैक्ट भूमि मे से 1/7 हिस्सा भूमि व रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 207/214 की कुल 8.1190 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 4/01/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 615/2023

अनवान : -

1. मांगीलाल पुत्र रेवन्ताराम जाति जाट साकिन खुईया तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. रेवन्ताराम पुत्र उदाराम जाति जाट साकिन खुईया तहसील नोहर।
2. कालु पुत्र रेवन्ताराम जाति जाट साकिन खुईया तहसील नोहर।
3. ममता पुत्री रेवन्ताराम पत्नी जगदीश जाति जाट साकिन खुईया तहसील नोहर हाल निवास किंकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 615 सन 2023 निर्णय दिनांक ५/०१/२५

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-74 के खाता संख्या 319/310 की कुल 3.6690 हैक्ट भूमि, रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-74 के खाता संख्या 390/371 की कुल 6.4890 हैक्ट भूमि मे से 1/7 हिस्सा भूमि व रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 207/214 की कुल 8.1190 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ५/०१/२५..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर